# राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/सड़क निर्माण/2021–22/26150-59 दिनांक : 03/09/21

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : पुलिया एवं सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 16742–49 दिनांक 01.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा का पत्रांक 2999–3002 दिनांक 22.07.2021 एवं 201518 दिनांक 23.07.2021 के साथ संलग्न कार्यालय पंचायत समिति बांसवाडा एवं छोटी सरवन से सडक निर्माण कार्यो का तकमीना एवं तकनिकी स्वीकृति अनुसार निम्नलिखित पुलिया एवं सडक निर्माण कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में निम्नानुसार सडक निर्माण कार्यो की कॉलम संख्या 3 अनुसार राशि 45.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

**कार्यकारी एजेन्सी – ग्राम पंचायत** (राशि लाख रू. मे)

| क.स. | कार्य का नाम व स्थान | तकनीकी स्वीकृति राशि | | प्रथम किश्त देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | क्र/दि | राशि | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पुलिया निर्माण श्मशान घाट के पास चरपोटापाडा ग्राम पंचायत बदरेल खुर्द पं.स. बांसवाडा। | 1070 20.07.21 | 10.00 | 8.00 |
| 2 | सी.सी.सडक निर्माण भूतपाडा ग्राम पंचायत खेडा वडलीपाडा पं.स. बांसवाडा | 1071 20.07.21 | 10.00 | 8.00 |
| 3 | पुलिया निर्माण बडलिया रोड ग्राम पंचायत आबापुरा पं.स. बांसवाडा | 1069 20.07.21 | 10.00 | 8.00 |
| 4 | सी.सी. सडक निर्माण ग्राम पीपलीपाडा ग्राम पंचायत फेफर पं.स. छोटी सरवन। | 31 07.07.21 | 15.00 | 7.50 |
| | | | 45.00 | 31.50 |

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 45.00 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की (80 प्रतिशत) राशि 31.50 लाख रू. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–5/2020–21 दि. 14.07.2020 राशि 433.05 लाख मे से कॉलम संख्या 4 अनुसार रू. 31.50 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडाको देय होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

**कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।**

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।

3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीया

(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/विविध सड़क–2/2021–22/26150-59 दि. 09/03/21

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है की विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 5/2020.21 दिनांक 14.07.2020 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 433.05 लाख में से कॉलम संख्या 4 अनुसार 31.50 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तान्तरित करावें ।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा/छोटी सरवन जिला बांसवाडा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in; Website www.tad.rajasthan.gov.in